<u>२२.१०.२०२१</u>

पत्रावली पेश हई। अभियुक्त संजय लोधी जिला कारागार से उपस्थित आया, अभियुक्त दिवाकर तिवारी उपस्थित है तथा अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ वीरू लोधी की हाजिरी माफी दी गयी, जिसे आज हेतु स्वीकार किया जाता है। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया कि सत्र विचारण संख्या–७६४/२० जो थाना थरियांव के अ०सं०–१/२०१९, अन्तर्गत धारा–४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ भा०दं०सं० से सम्बन्धित है, इसी अपराध से सम्बन्धित अन्य सत्र विचारण संख्या–७६५/२० जो थाना थरियांव के अ०सं०–२/२०१९, अन्तर्गत धारा–६०/६३ आबकारी अधिनियम तथा सत्र विचारण संख्या–७६६/२० अभियुक्त संजय कुमार लोधी जो थाना थरियांव के अ०सं०–३/२०१९, अन्तर्गत धारा–३/२५ आयुध अधिनियम तथा सत्र विचारण संख्या–७६७/२० विरुद्ध अभियुक्त दिवाकर तिवारी जो थाना थरियांव के अ०सं०–४/२०१९, अन्तर्गत धारा–३/२५ आयुध अधिनियम से सम्बन्धित है, समस्त सत्र वाद एक ही घटना से सम्बन्धित है तथा जिनका साक्ष्य एक साथ कराया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी सत्र वाद को कंसालिडेट किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

चूँकि एक ही घटना से उत्पन्न चारों अपराध दर्ज हुए है, जिनका विचारण एक साथ किया जाना आवश्यक है। परिणामतः सरकार बनाम संजय कुमार लोधी की पत्रावली सत्र विचारण संख्या–७६४/२० के साथ अन्य सत्र विचारण संख्या–७६५/२०, ७६६/२० व ७६७/२० को समेकित किया जाता है। सत्र विचारण संख्या–७६४/२० लीडिंग केस होगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक १२.११.२०२१ को पेश हो। अभियेाजन साक्षी तलब हो।

इस आदेश की एक–एक प्रति सत्र विचारण संख्या–७६५/२०, ७६६/२० व ७६७/२० में रखी जाए।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।